न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 129 / 2016

प्रविष्टि दिनांक 23.08.2016

जरिये डॉ.प्रेमचन्द वर्मा बीज,कीटनाशी,उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार टोंक

– प्रार्थी

बनाम

श्री गेन्दीलाल व्यवस्थापक डांगरथल ग्राम सहकारी समिति डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक

– अप्रार्थी

उर्वरक नियंत्रण आदेष 1985 की धारा 28 (1)(क) एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7

उपस्थितः–

1– श्री डॉ. मुकेश कुमार जाट,बीज उर्वरक,कीटनाशी निरीक्षक कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(विस्तार)टोंक प्रार्थी की ओर से।

2– श्री दोलतराम चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 09.10.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि बीज उर्वरक,कीटनाशी निरीक्षक कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण)कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(विस्तार)टोंक द्वारा दिनांक 20.07.2016 को डांगरथल ग्राम सहकारी समिति डांगरथल का निरीक्षण करने पहुंचा एंव स्टाक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया की फर्म द्वारा 400 बैग सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक उपलब्ध होते हुये भी स्टाक मे इन्द्राज नही था इस पर व्यवस्थापक ने बताया की उक्त उर्वरक 5–7 दिन पूर्व किसान कय विकय सहकारी समिति निवाई के माध्यम से आया है। उर्वरक का स्टाक रजि. निधारित अवधि तक संधारित नही होने एंव उक्त का कय बिल नहीं होने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 28 के तहत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार उर्वरक के विकय पर रोक लगाई जाकर गुण नियंत्रण अन्तर्गत नियमानुसार उर्वरक नमूना आहरित कर उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एंव उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत दिनांक 09.08. 2016 को दोपहर 12.00 बजे जब्त किया गया जो निम्नानुसार है–

जिला कलेक्टर
टोंक

क्रम सं.	उर्वरक का नाम	बैच नं.	उत्पादनकर्ता	मात्रा
1	सिंगल सुपर फास्फेट (दानेदार)	1/16/G/03	Patel Phosechem Pvt. Ltd 4827 Umerda, Udaipur	200 Bags
2	सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर)	1/16/P/04		200 Bags

यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघन है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कि धारा 3/7 में प्रकरण दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि दिनांक 20.07.2016 को कृषि अधिकारी टोंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.डागरथल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मूल बिल नही होने के कारण उपरोक्त एस.एस.पी उर्वरक विक्रय पर रोक लगाई गई तत्पश्चात दिनांक 09.08.2016 को उक्त उर्वरक को जब्त कर सुपुर्दगी दी गई व अग्रिम आदेशो तक विक्रय नही करने के निर्देश दिये गये।

1–डागरथल जी.एस.एस. एक सहकारी संस्था है एंव संस्था के पास उर्वरक विक्रय हेतु लाईसेंस प्राप्त है।

2–उपरोक्त उर्वरक के.यू.एस.एस निवाई के माध्यम से 400 कट्टे उर्वरक बिल्टी संख्या 4310 व 4320 दिनांक 04.07.2016 द्वारा भिजवाया गया है,उक्त कट्टो का विक्रय संस्था द्वारा नही किया गया है।

3–संस्था का गोदाम क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त उर्वरक को संस्था के पास ही किराये के भवन मे सुरक्षित रखवाया गया है। अतः उपरोक्त उर्वरक का निस्तारण करने का निर्देश प्रदान करावे।

प्रकरण मे प्रार्थी एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 20.07.2016 को डांगरथल ग्राम सहकारी समिति डांगरथल का बीज,कीटनाशी,उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार टोंक द्वारा निरीक्षण किया गया एंव स्टाक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया की फर्म द्वारा 400 बैग सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक उपलब्ध होते हुये भी स्टाक मे इन्द्राज नही था,इस पर व्यवस्थापक ने बताया की उक्त उर्वरक 5–7 दिन पूर्व किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति निवाई के माध्यम से आया है,जिसको बिल आने पर स्टाक मे इन्द्राज किया जावेगा व उर्वरक के सन्दर्भ में माल प्राप्ति की बिल्टी प्रस्तुत की। डांगरथल ग्राम सहकारी समिति डांगरथल के पास उर्वरक का मूल अनुज्ञापत्र नहीं होने, उर्वरक का स्टाक रजि. निधारित अवधि तक संधारित नही होने एंव

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त का कय बिल नहीं होने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 28 के तहत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार उर्वरक के विकय पर रोक लगाई जाकर गुण नियंत्रण अन्तर्गत नियमानुसार उर्वरक नमूना आहरित किया गया। निर्धारित अवधि में व्यवस्थापक ग्राम सहकारी समिति डांगरथल द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर निम्नानुसार उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एंव उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी), के तहत दिनांक 09.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे जब्त किया गया एव उक्त जब्त किये गये उर्वरक को श्री गेन्दीलाल, व्यवस्थापक डांगरथल ग्राम सहकारी समिति डांगरथल को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद ली गई।दिनांक 20.07.2016 को आहरित नमूनो को परीक्षण हेतु राजकीय उर्वरक परिक्षण प्रयोगशाला, अजमेर को कार्यालय हाजा के पत्रांक 1060 दिनांक 25.07.2016 द्वारा भिजवाये जाने पर बाद जांच प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 412–416 दिनांक 10.08.2016 एवं 417–21 दिनांक 10.08.2016 द्वारा उपरोक्तानुसार उर्वरक बैंच के नमूने अमानक घोषित किये गये है। विश्लेषण रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि निर्माता कम्पनी द्वारा निम्न गुणवता के उर्वरक का उत्पादन कर विक्रय/भण्डारण किया है। उपरोक्त नमूने अमानक पाये जाने पर विक्रेता एवं निर्माता को अमानक उर्वरक विक्रय/भण्डारण करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1577–82 दिनांक 22.08.2016 एवं 1571–76 दिनांक 22.08.2016 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विक्रेता द्वारा उक्त नोटिस का जवाब आज दिनांक तक नही दिया गया है। निर्माता कम्पनी द्वारा श्रीमान् आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त नमूनो का पुनः परीक्षण हेतु अपील करने पर रैफरी नमूने पुनः विश्लेषण हेतु भिजवाये गये। उपरोक्त नमूने पुनः विश्लेषण में भी अमानक पाये गये है। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीएसएस डांगरथल पर भण्डारित उपरोक्त उर्वरक बैच के नमूने निम्न गुणवत्ता के है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघन होने से उक्त खाद/उर्वरक जप्त सरकार किया गया है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

हमने प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी के जवाब/बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती /मौका निरीक्षण रिपोर्ट दि0 09.08.2016 के अनुसार डांगरथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.डांगरथल तहसील निवाई का निरीक्षण करने पर मौके पर 400 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया। उर्वरक निर्माता Patel Phosechem Pvt. Ltd 4827 Umerda, Udaipur बैंच संख्या 1/16/G/03 व 1/16/G/04 के 400 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजन को 1985 की धारा 28 (1) (डी) में जब्त किया गया।

जांच/निरीक्षण करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 400 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम उर्वरकं का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका जप्ती/मौका रिपोर्ट पर

जिला कलेक्टर
टोंक

कालूराम शर्मा, सत्यनारायण खटीक, मदनलाल गुर्जर व रतनलाल मीणा AO(C) Tonk के हस्ताक्षर है। डांगरथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. डांगरथल तहसील निवाई को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।बीज,कीटनाशी,उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार टोंक ने पत्र क्रमांक 1591–95 दिनांक 19.07.2018 प्रेषित किया है जिसमें ''दिनांक 20.07.2016 को आहरित नमूनो को परीक्षण हेतु राजकीय उर्वरक परिक्षण प्रयोगशाला, अजमेर को इस कार्यालय के पत्रांक 1060 दिनांक 25.07.2016 द्वारा भिजवाये जाने पर बाद जांच प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 412–416 दिनांक 10.08.2016 एवं 417–21 दिनांक 10.08.2016 द्वारा उपरोक्तानुसार उर्वरक बैंच के नमूने अमानक घोषित किये गये है। उपरोक्त नमूने अमानक पाये जाने पर विक्रेता एवं निर्माता को अमानक उर्वरक विक्रय/भण्डारण करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1577–82 दिनांक 22.08.2016 एवं 1571–76 दिनांक 22.08.2016 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विक्रेता द्वारा उक्त नोटिस का जवाब आज दिनांक तक नही दिया गया है। निर्माता कम्पनी द्वारा श्रीमान् आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त नमूनो का पुनः परीक्षण हेतु अपील करने पर रैफरी नमूने पुनः विश्लेषण हेतु भिजवाये गये। उपरोक्त नमूने पुनः विश्लेषण में भी अमानक पाये गये है। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीएसएस डांगरथल पर भण्डारित उपरोक्त उर्वरक बैच के नमूने निम्न गुणवत्ता के है''।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकित किया हैं कि उपरोक्त उर्वरक के.यू.एस. एस निवाई के माध्यम से 400 कट्टे उर्वरक बिल्टी संख्या 4310 व 4320 दिनांक 04.07. 2016 द्वारा भिजवाया गया है,उक्त कट्टो का विक्रय संस्था द्वारा नही किया गया है। अतः उपरोक्त उर्वरक का निस्तारण करने का निर्देश प्रदान करावे।

उक्त उर्वरक के संबंध में मौका रिपोर्ट, नक्शा, फर्द जब्ती आदि पत्र तैयार कर उक्त उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के अनुसरण में जब्त किया गया है। Deputy Director, Agriculture (Chemistry) State Fertilizer Testing Laboratory, Ajmer ने बाद जांच उक्त उर्वरक को The sample is not according to specification and fails in Phosphorous and Sulphur. माना है। अमानक स्तर के उर्वरक को बाजार में विक्रय करने से अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघन है। अतः उक्त उर्वरकं (खाद) को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 400 नग उर्वरकं प्रत्येक 50 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। बीज,कीटनाशी,उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा उर्वरक (खाद) का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा),
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक